

फैकल्टी सम्बन्धी शपथ-पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि चयनित फैकल्टी में कोई भी हमारा सगा-सम्बन्धी नहीं है, और न ही चयनित फैकल्टी को मैं जानता-पहचानता हूँ। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है कि फैकल्टी चयन में हमारे सगे-सम्बन्धी अथवा जान-पहचान के किसी अभ्यर्थी का चयन किया गया है तो इस हेतु जो भी विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी।”

नोट:- सम्बन्धित संस्थान की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पैनल के सदस्यों के हस्ताक्षरों से उक्त शपथ पत्र लेकर प्रस्तुत करें।